प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 02.12.2024 जनपद देवरिया ।

जनपदीय पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई हत्या की घटना का किया गया सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद ।

दिनांक 27.11.2024 को भटनी क्षेत्रान्तर्गत एक बालिका का शव बरामद होने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर एक दिवस पूर्व लड़की की गुमशुदगी के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 369/2024 धारा 103(1) बीएनएस में नियमानुसार अज्ञात के विरुद्ध धारा 3(5),238 बीएनएस बढ़ाई गई।

पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में एवं क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी श्री शिव प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण में पुलिस टीमों का गठन किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 02.12.2024 को पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए दो अभियुक्तों क्रमशः 01. शेषनाथ यादव पुत्र स्व0 कतवारु यादव व उसकी पत्नी 02. सविता देवी निवासीगण बेहराडाबर थाना भटनी जनपद देवरिया को उनके घर से गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर घर के छज्जे पर छिपाकर रखा गया आलाकत्ल चाकू व दो खुन से लथपत कपड़े बरामद किये गये।

उल्लेखनीय है कि मृतका अपने पिता अवधेश यादव निवासी भरेह चौरा थाना भटनी के ननीहाल में उनके मामा के घर विवाह समारोह में सम्मलित होने हेतु आई थी, अभियुक्ता सविता देवी द्वारा बताया गया कि मेरा पुत्र संजय जो मानसिक रुप से बिमार रहता है, के लिए यूट्यूब एवं अन्य माध्यम से मैनें तंत्र-मंत्र की विद्या सीखी है। मेरे सपने में देवी ने आकर कहा था कि अगर किसी नाबालिक की बली दे दोगी तो तुम्हारा पुत्र स्वस्थ्य हो जायेगा। मेरे पति के बड़े भाई (जेठ) गेनालाल यादव पुत्र स्व0 कतवारु यादव का नया मकान पुराने मकान से कुछ दूर पर है जिनके यहां शादी पड़ा हुआ था। विवाह में सम्मलित होने आयी मृतका के पिता अवधेश के हम लोग मामा मामी हैं। मृतका उस दिन खेलते हुए पुराने घर पर आ गई थी, हम लोगों द्वारा उसे बहला फुसला कर रोका गया एवं जब सब नये घर पर चले गए तब मेरे व मेरे पति द्वारा मिलकर घर के आंगन में अपने दरवाजे के पास बच्ची की बली दे दी गई एवं शव को घर से कुछ दूर पर सुनसान जगह पर हमने मक्के के डंठल के बोझ में छिपा दिया था।

इस प्रकार अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी से पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. शेषनाथ यादव पुत्र स्व0 कतवारु यादव निवासी बेहराडाबर थाना भटनी जनपद देवरिया
2. सबिता देवी पत्नी शेषनाथ यादव निवासनी बेहराडाबर थाना भटनी जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरणः-

1.हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू

2. दो खुन से लथपत कपड़े

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1.प्र0नि0 सन्तोष कुमार सिंह थाना बनकटा जनपद देवरिया

2.प्र0नि0 राकेश कुमार सिंह थाना ए0एच0टी0यू0 जनपद देवरिया।

3.थानाध्यक्ष अश्वनी प्रधान थाना भटनी जनपद देवरिया।

4. थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्र थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।

5.थानाध्यक्ष महेन्द्र चतुर्वेदी थाना खामपार जनपद देवरिया।

6.थानाध्यक्ष कंचन राय थाना बरियारपुर जनपद देवरिया।

7.उ0नि0 इन्द्रेश थाना भटनी जनपद देवरिया।

8.हे0का0 अरविन्द यादव थाना भटनी जनपद देवरिया।

9.का0 अरविन्द यादव थाना भटनी जनपद देवरिया।

10. म0का0 मंगेशलता थाना भटनी जनपद देवरिया।

नोटः पुलिस उपमहानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर द्वारा पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिह्न से सम्मानित करने हेतु संस्तुति की गई है एवं पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु 50,000/- रुपये से पुरस्कृत किये जाने की घोषणा की गई है।